न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 111/18 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00186

उनवान

1. रामबाबू पुत्र बदन सिंह उम्र 62 साल जाति जाट निवासी ग्राम फुलवारा तहसील व जिला भरतपुर, राजस्थान।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. करतार सिंह
2. सुरेश
3. रामवीर
4. महावीर
5. बर्फी पत्नी वीरी सिंह

} पुत्रान स्व0 वीरी सिंह जाति जाट निवासी ग्राम फुलवारा तहसील व जिला भरतपुर।

6. राजस्थान ग्रामीण बैंक नुमाईश रोड भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2018 प्रकरण संख्या 12/2012 उनवान रामबाबू बनाम करतार न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री प्रताप सिंह अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री दिलीप सिंह अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–11.09.2023

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 23.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वादी/अपीलाण्ट के कब्जे काश्त व हकूक खातेदारी में पुस्तैनी समय से आज तक एक किता आराजी खसरा नम्बर 65 रकवा 10 एयर किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम फुलवारा तहसील व जिला भरतपुर राजस्थान है। जिस पर वादी पुस्तैनी समय से आज तक व हैसियत खातेदार काबिज है। यह है कि खसरा नम्बर 65 गलत तरीके से पक्षकारान में तारीख 15.03.2001 को बॅटवारे का राजीनामा होते समय प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के खाते में

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

में दर्ज होनी चाहिये। दिनांक 15.03.2001 के राजीनामा में वादी/अपीलाण्ट के लिये 10 ऐयर रकवा कम दिया गया था। जिसे अब वादी आराजी मुतनाजा को मुताबिक मौका कब्जा अने नाम कराकर रकवा पूर्ती करा पाने का हकदार है। अतः वाद प्रस्तुत कर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित निर्णय में सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वादी को वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की सहमती व राजीनामा से न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.03.2001 से प्राप्त हुयी है। जबकि तारीख 15.03.2001 को कभी कोई निर्णय हुआ ही नहीं है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व निर्णय दिनांक 28.09.74 के फैसले व डिक्री का कतई अवलोकन नहीं किया। जिसमें अपीलाण्ट के पिता बदन सिंह के हक में गत आराजी खसरा नम्बर 271 रकवा 12 विस्वा वाके ग्राम फुलवारा डिक्री हुआ था। उसी खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर 65 रकवा 10 एयर बनाया गया है तभी से अपीलाण्ट का आराजी पर कब्जा काश्त मौके पर मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश नोन स्पीकिंग आदेश है। इसलिये भी काबिल खारिज है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि पक्षकारो के पूर्वज शिवलाल की सम्पूर्ण आराजी का बॅटवारा कागजात पटवार में हो चुका है। जिस बॅटवारे बाबत् पक्षकारान सन् 1969 से ही नियम अनुसार रजामंदी से बॅटवारा कराने के लिये परेशान हो रहे हैं। आज 53 साल बाद भी पक्षकारान के मध्य गत खसरा नम्बरान बाबत् हुये राजीनामा दिनांक 02.08.1969 के बाद भी पक्षकारान द्वारा तीन दावा करने के बाद भी केवल एक खसरा नम्बर का विवाद दोनों पक्षों के वकीलो व सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय की मानवीय भूलवश पक्षकारान आज तक परेशान हो रहे हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में एआईआर 1976 पेज 239, आरआरटी 2008 पेज 598, आरबीजे 1994 पेज 134 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बंहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी खसरा संख्या 65 रक्बा 10 ऐयर वाके ग्राम फुलवारा तहसील व जिला भरतपुर के खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया था। अपीलाण्ट का मुख्य तर्क है कि उक्त खसरा संख्या 65 का साबिक खसरा संख्या 271 रक्बा 12 विस्बा था। आपसी सहमति से पुराने खसरा नम्बरो के अनुसार 1969 में पक्षकारो के पूर्वज शिवलाल की सम्पूर्ण खातेदारी का बटवारां दिनांक 02.08.1969 हो गया था जिसके आधार पर न्यायालय उप जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा दिनांक 28.09.1974 को निर्णय पारित किया गया। किन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जमाबंदियो को सेटलमेंट विभाग ने तलब कर लिया जिसमे कारण इंद्राज कागजात में उक्त बटवारे पर अमल नहीं हो सका। उक्त फैसले में अपीलाण्ट के पिता बदनसिंह के हिस्से में विवादित साविक खसरा संख्या 271 रक्बा 12 विस्वा के साथ अन्य कुल 24 किता खसरा नम्बरान रक्बा 32 बीघा 15 विस्वा आराजी की डिक्री हुई थी। पूर्व डिक्री के मुताबिक वास्तव में राजीनामा दिनांक 15.03.2001 ड्राफ्ट होना था किंतु दोनो पक्षों के वकीलों की मानवीय भूल के कारण हाल खसरा संख्या 65 रक्बा 10 ऐयर अपीलाण्ट/वादी रामबाबू के नाम दर्ज न होकर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में बिना जांच के ही अपीलाण्ट के वाद को विधिविरूद्व तरीके से खारिज कर दिया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग सम्वत 2043 से 2062 विवादित आराजी हाल खसरा संख्या 65 रक्बा 0.10 है का साबिक खसरा संख्या 261 रक्बा 12 विस्वा था। न्यायालय उप जिला कलक्टर भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28.09.1974 से विवादिज आराजी मुताबिक राजीनामा दिनांक 02.08.1969 अपीलाण्ट के पिता बदनसिंह के हक में डिक्री किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.2018 द्वारा प्रकरण को बिना गुण दोष पर निर्णित किए लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट में सरसरी तौर पर सहमति व राजीनामा से निर्णय दिनांक 15.03.2001 के आधार पर दावा वादी प्रमाणित नही होना मानकर खारिज कर दिया। जबकि उक्त दावे में प्रतिवादीगण का जबावदावा दाखिल किया जा चुका था अधीनस्थ न्यायालय को दावे व जबावदावे के आधार पर तनकीयत कायम कर प्रकरण का सम्पूर्ण तथ्यों के आलोक मे गुण दोष पर न्याय निर्णयन करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में एक निर्णय दिनांक 15.03.2001 का उल्लेख किया है उसकी कोई प्रमाणित/ अप्रमाणित प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सम्मिलित नही है। न्यायालय के मत में अपीलाधीन निर्णय Non speaking तथा प्रकरण को गुण–दोष पर निर्णित किए बिना सरसरी तौर पर लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है जिससे पक्षकारो के अधिकारो का न्याय निर्णयन नही हो सका। अतः उक्त तथ्यो के आलोक में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किए जाने योग्य है।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 23.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिपेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में तनकीयात कायम कर पुनः उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, गुणदोष पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.09.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर